न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 469 / 2024

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. गोपीराम पुत्र गनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर–फौत
   1/1. कृष्णा पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/2 प्रमिला पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/3. निर्मला पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/4. सुभाष पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/5. महेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. राजकरण पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 27/11/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 176/161 की कुल 7.5110 हैक्ट भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 176/161 की कुल 7.5110 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/4 ता 1/6 व प्रतिवादीगण संख्या 4 की तरफ से श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul.

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी नही करना जाहिर किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 176/161 की कुल 7.5110 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. राजबाला पुत्री रामजीलाल हिस्स पूर्ण जाति मेघवाल साकिन गोरखाना खातेदार रहन पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गोरखाना– ख0न0 195/1 की 1.0444, 196/1 की 0.4578 कुल खसरे 2 कुल रकबा 01.5022 हैक्ट
2. गोपीराम पुत्र गनीराम हि0 1/4, भजनलाल पुत्र गुनीराम हि0 1/4, राजकरण पुत्र गुनीराम हि0 1/4, रामलाल पुत्र गुनीराम हि0 1/4 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन गोपीराम हि0 1/4, राजकरण हि0 1/4 एसबीआई शाखा नोहर, रामलाल हि0 1/4 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर– ख0न0 124 की 0.544, 125 की 1.340 हैक्ट, 195 की 2.6226 हैक्ट, 196 की 1.5022 हैक्ट कुल खसरे 4 कुल रकबा 6.0088 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...27/11/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 469 / 2024

अनवान : –

1. राजबाला पुत्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र गनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर–फौत
   1/1. कृष्णा पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/2 प्रमिला पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/3. निर्मला पुत्री गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/4. सुभाष पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
   1/5. महेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
3. राजकरण पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
4. रामलाल पुत्र गुनीराम जाति मेघवाल निवासी डुमासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 469 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 176/161 की कुल 7.5110 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. राजबाला पुत्री रामजीलाल हिस्स पूर्ण जाति मेघवाल साकिन गोरखाना खातेदार रहन पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गोरखाना– ख0न0 195/1 की 1.0444, 196/1 की 0.4578 कुल खसरे 2 कुल रकबा 01.5022 हैक्ट
2. गोपीराम पुत्र गनीराम हि0 1/4, भजनलाल पुत्र गुनीराम हि0 1/4, राजकरण पुत्र गुनीराम हि0 1/4, रामलाल पुत्र गुनीराम हि0 1/4 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन गोपीराम हि0 1/4, राजकरण हि0 1/4 एसबीआई शाखा नोहर, रामलाल हि0 1/4 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर– ख0न0 124 की 0.544, 125 की 1.340 हैक्ट, 195 की 2.6226 हैक्ट, 196 की 1.5022 हैक्ट कुल खसरे 4 कुल रकबा 6.0088 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं [illegible] नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भा[illegible] अपना–अपना वहन करे। यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/11/25 को [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर